

उत्तर प्रदेश शासन  
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1  
संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1324/11-2013-1035(5)/05टी0सी0  
लखनऊ:दिनांक: 10 जुलाई, 2013

विज्ञप्ति/प्रोन्नति का संशोधन

शासन के विज्ञप्ति/प्रोन्नति संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1313 (1)/11-2013-1035 (5)/05 टी0सी0, दिनांक 09-7-13 द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत किये गये हैं:-

"श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (ज्येष्ठता क्रमांक-592) को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री कृष्णा पाण्डेय (ज्येष्ठता क्रमांक-602) की ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 13-10-2008 से एतद्वारा ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य-कर के पद (वेतन बैंड रूपये-15600-39100, ग्रेड वेतन रूपये 7600/-) पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2. श्री अशोक कुमार को "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति की अवधि के लिये कोई प्रोन्नत वेतन अथवा एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।"

2. शासन के उक्त विज्ञप्ति/प्रोन्नति संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1313 (1)/11-2013-1035 (5)/05टी0सी0 दिनांक 09-7-13 को श्री राज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित रूप से संशोधित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (ज्येष्ठता क्रमांक-592) को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री कृष्णा पाण्डेय (ज्येष्ठता क्रमांक-602) की ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 13-10-2008 से एतद्वारा ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य-कर के पद (वेतन बैंड रूपये-15600-39100, ग्रेड वेतन रूपये 7600/-) पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री अशोक कुमार को "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति की अवधि के लिये कोई प्रोन्नत वेतन अथवा एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।"

3. श्री अशोक कुमार की उक्त नोशनल पदोन्नति, निर्देश याचिका संख्या-1295/04 अशोक कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 30-1-13 के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से मा0 उच्च न्यायालय में योजित की जाने वाली रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय/आदेश के अधीन होगी।

शासन के उक्त विज्ञप्ति/प्रोन्नति संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1313 (1)/11-2013-1035 (5)/05 टी0सी0, दिनांक 09-7-13 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

(बीरेश कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1324 (1)/11-2013-तददिनांक

1. महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0. इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य-कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना/सेवावाद), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धन्य कुमार)  
संयुक्त सचिव।

att. d. o.  
h  
J.C.

श्री शर्मा

17.07.13

J.C.(17)  
17/7/13

943  
17/7/13


कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 16, जुलाई 2013

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, उ०प्र०शासन सचिवालय, लखनऊ ।
- 2 एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
- 4 ज्वाइन्ट कमिश्नर(सेवावाद)वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 5 श्री अशोक कुमार, सेवा निवृत्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय निवासी-14/1ए  
ड्रमण्डगंज इलाहाबाद (पंजीकृत डाक से)
- 6- डिप्टी कमिश्नर एवं आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 7- असिस्टेन्ट कमिश्नर(कम्प्यूटर)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट हेतु
- 8- अपर निदेशक, कर एवं प्रबन्धन शोध संस्थान, वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ ।
- 9- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।
- 10- डाटा इन्ट्री आपरेटर, स्थापना राजपत्रित अनुभाग ।
- 11- चरित्र पंजिका पटला



( विनोद कुमार सिंह )

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।